



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 015/2022-बीएचओ/

दिनांक : 14/02/2023

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 015/2022-बीएचओ दिनांक 22/06/2022.
2. प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध), मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1121/2022/10-11/3542 दिनांक 17/10/22.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में कार्यालय सभागार में दिनांक 23/01/2023 को उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय) की अध्यक्षता में प्रस्ताव से संबंधित REC की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर (संदर्भित पत्र-2) द्वारा दी गयी जानकारी पर चर्चा की गयी एवं चर्चानुसार लिये गये REC के निर्णय के आधार पर अधोहस्त ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt. shall submit the complete KML file of proposed Forest land and non-Forest land involved in this road project.
2. The State Govt. shall explore the possibilities of minimising the area proposed for diversion.
3. The State Govt./User Agency shall submit detailed reasons for not choosing alternative one in which the affected forest length is minimum and submit the detail Alternative route maps along with KML files.
4. The State Govt. shall submit the status of clearance form SCNBWL (part of Ghatigaon WLS)
5. The State Govt. shall submit the documentary evidence of existence of this road prior to 1980.
6. Details of existing ROW's proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 14-02-2023 18:16:39

Reason: Approved